विज्ञापन संख्या :...4.. / 2022

निविदा सूचना।

बिहार पुलिस अकादमी, राजगीर नालंदा।

मेस संख्या	हॉस्टल का नाम	कुल प्रशिक्षुओं की संख्या
04	S.O HOSTEL-4	612 पुरूष प्रशिक्षु

मेस निविदा का संक्षिप्त पृष्ठवार विवरण कुल 12 पृष्ठों में	
निविदा की मुख्य बिन्दू	पृष्ठों की सूची
निविदा सूचना	निविदा पृष्ठ सं0–..1.. / प0 पर
निविदा डालने, खोलने की तिथी एवं शर्तें	निविदा पृष्ठ सं0–2–..7.. / प0 पर
तकनीकी बिड का प्रारूप	निविदा पृष्ठ सं0–..8.. / प0 पर
तकनीकी बिड एवं वित्तीय बिड से संबंधित शर्तें एवं प्रारूप	निविदा पृष्ठ सं0–..9..–..12.. / प0 पर

बिहार पुलिस अकादमी, राजगीर में प्रशिक्षु पुलिस अवर निरीक्षकों को भोजन की व्यवस्था हेतु मेस संचालन के लिए निविदा किया जाना है। इनका आवासन उपरोक्त अनुसार अलग–अलग भवनों में 500–600 की संख्या में है एवं उसी प्रकार भवनवार भोजन मेस भी चलाया जाना है ताकि प्रशिक्षु पदाधिकारीयों को सुविधा हो सके। कुल मिलाकर 05 मेस के लिए मेस संचालकों का चयन निविदादाताओं में से किया जायेगा। उक्त सभी मेसों का आवंटन खुली निविदा के माध्यम से किया जायेगा। मेस के लिए उपयोग किये जाने वाले एरिया का किराया 11 रूपये प्रति वर्ग फिट की दर से भुगतेय होगा तथा इसके अतिरिक्त बिजली बिल अलग से देना होगा। इच्छुक निविदादाता इस संबंध में अपना निविदा डाल सकते हैं। निविदा हेतु निविदादाताओं को तकनीकी एवं वित्तीय बिड जमा करना होगा, जिसके लिए निम्नलिखित शर्तें होगी :–

1. जिन–जिन निविदादाताओं के द्वारा पूर्व में निविदा सं0–24, 25, 26, 27, एवं 28 / 2021 डाला गया था, उसे रद्द कर दिया गया है। आप सब इस नयी निविदा में भाग ले सकते हैं, जिसके लिए आप सबों को पुनः इस नयी निविदा शर्तों के अनुसार आवेदन डालना होगा। आपलोग इस नयी निविदा के खोलने की निर्धारित तिथि को ससमय उपस्थित रहेंगे, एवं आप सबों को द्वारा निविदा हेतु अकादमी के खाता पर पूर्व में डाले गये अग्रिम राशि / निविदा शुल्क से संबंधित दस्तावेज लेकर आयेंगे, ताकि आप सबों द्वारा डाली गयी अग्रिम राशि / निविदा शुल्क को वापस किया जा सके। यह कंडिका केवल पूर्व में निविदा डालने वाले निविदादाताओं के लिए ही लागू है।
2. निविदा की प्रक्रिया में वैसे ही फर्म भाग लेंगे, जिन्हें पूर्व में सरकारी प्रतिष्ठानों(स्कूल / हॉस्टल / सरकारी प्रशिक्षण केन्द्र यथा Bipard, Bica etc.) / गैर सरकारी प्रतिष्ठान(स्कूल / हॉस्टल) में सेवा प्रदान करने का अनुभव प्राप्त हो, जिसका प्रमाण पत्र तकनीकी बिड में संलग्न करना होगा।
3. बिहार पुलिस अकादमी, राजगीर में कुल 2278 अवर निरीक्षक निकट भविष्य में प्रशिक्षण पाने वाले हैं, जिसके लिए 5 हॉस्टलों में अलग–अलग मेस संचालन किये जायेंगे, इस संबंध में अवर निरीक्षकों के भोजन के लिए एक ही समय में 5 अलग–अलग निविदा निकाले गये हैं, इच्छुक निविदादाता केवल 2 निविदा में ही भाग लेंगे, यदि कोई निविदादाता 2 से अधिक मेस के लिए निविदा डालता है तो अकादमी से स्वयं उनको निविदा से अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।

4. निविदा की प्रक्रिया दो स्टेज में किया जायेगा, जिसमें सबसे पहले तकनीकी बिड खोला जायेगा। उसके बाद वित्तीय बिड, तकनीकी बिड में सफल होने वाले निविदादाता ही निविदा प्रक्रिया में भाग लेंगे।
5. जो निविदादाता अपनी निविदा डालेंगे वो अकादमी के बेबसाइट www.bpa.bihar.gov.in से बिड डाउनलोड करेंगे।
6. निविदादाता अपनी–अपनी बिड की छायाप्रति अकादमी अवस्थित निविदा पेटी में डालेंगे एव बीड खुलने के समय मूल प्रति साथ रखेंगे जिससे उसका मिलान किया जायेगा।
7. निविदा में भाग लेने हेतु निविदाकर्ता को 2,000/–(दो हजार रूपये) (Non-refundable) निविदा शुल्क के रूप में **अकादमी के एमनिटी फंड** के खाता संख्या–31114912044, IFSC CODE-SBIN0003499 पर बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से जमा करना होगा एवं जमा किये गये राशि से संबंधित प्रमाण तकनीकी बिड के साथ लगाना होगा। प्रमाण संलग्न नहीं करने पर निविदा में भाग लेने से वंचित कर दिया जाएगा।
8. अन्तिम रूप से चयनित निविदादाता को मेस आवंटन हेतु Earnest Money के रूप में 75,000/–रू अन्तिम रूप से चयनित होने के 03 दिनों के अन्दर अकादमी के **एस0बी0आई0 राजगीर** के खाता संख्या–31114912044, IFSC CODE-SBIN0003499 पर बैंक ड्राफ्ट के माध्यम जमा करना होगा।
9. *आवंटित निविदादाता मेस के मेन्यू के अनुरूप ही बोली लगायेंगे एवं खाने की गुणवत्ता में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होने देंगे। निविदादाता द्वारा लगाये गये बोली न्यूनतम होने के बाद खाने की गुणवत्ता की दृष्टि से चयनित किया जाना बाध्यकारी नहीं होगा।*
10. *चयनित निविदाता को इकरारनामा हस्ताक्षरित होने के समय रू0 1,00000/– (एक लाख रूपये) सिक्यूरिटी मनी के रूप में जमा कराना होगा। ये सिक्यूयरीटी मनी इकरारनाम अवधि समाप्त होने के 15 दिन पश्चात बिना ब्याज के लौटाया जायेगा।*
11. निविदादाताओं को तकनीकी एवं वित्तीय बिड जमा करना होगा, जिसके लिए निम्नलिखित शर्तें होगी :–

निविदा डालने की संक्षिप्त प्रकिया :–

01	निविदा डालने की अंतिम तिथि एवं समय	17 फरवरी–2022 अपराह्न 05:00 बजे तक।
02	निविदा/तकनीकी बिड/वित्तीय बिड खोलने की तिथि एवं समय	18 फरवरी–2022 पूर्वाह्न 11:00 बजे ऑडिटोरियम हॉल में
03	निविदा/वित्तीय बिड खोलने की तिथि एवं समय	18 फरवरी–2022 अपराह्न 03:00 बजे ऑडिटोरियम हॉल में

1. सभी निविदादाता अपनी–अपनी निविदा पुलिस अधीक्षक सह सहायक निदेशक (प्रशासन) बिहार पुलिस अकादमी, राजगीर के नाम से दिनांक–17.02.2022 के समय 17.00 बजे तक बिहार पुलिस अकादमी, राजगीर में निर्धारित निविदा बॉक्स में जमा करा सकते हैं।
2. निविदादाता के फर्म/प्रतिष्ठान का पंजीकरण अनिवार्य होगा एवं पंजीकरण की छायाप्रति संलग्न करना होगा।
3. निविदा में भाग लेने वाले निविदादाता के पास विगत् 03 वर्षों का जी0एस0टी0 अपडेट होना अनिवार्य है।
4. निविदादाता को अपने फर्म/प्रतिष्ठान का इनकम टैक्स रिर्टन विगत 03 वर्षों तक का भुगतान संबंधी प्रमाण–पत्र संलग्न करना होगा।
5. निविदादाता के फर्म/प्रतिष्ठान का अनुभव प्रमाण पत्र/सरकारी प्रतिष्ठानों में कार्य करने का अनुभव प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करना होगा।

6. निविदा में भाग लेने वाले उम्मीदवार निविदा खोलने की तिथि को एक इस आशय का शपथ–पत्र नॉन–जुडिशियल स्टाम्प पेपर अपने साथ लायेंगे कि उन्हें पूर्व में अपनी सेवा देने के संबंध में ब्लैक लिस्टेड नहीं किया गया है।
7. निविदा आवंटित होने पर इकरारनामा प्रशिक्षुओं के प्रशिक्षण समाप्ति अवधि तक होगा। निविदा में भाग लेने वाले निविदाकर्ता, निविदा खोलने की तिथि को बिहार पुलिस अकादमी, राजगीर में स्वयं उपस्थित रहेंगे अथवा अपने प्राधिकृत व्यक्ति को भेज सकते हैं, जो अपना पहचान पत्र भी साथ में रखेंगे।
8. निर्धारित समयावधि के बाद आने वाले निविदा को स्वीकार नहीं किया जायेगा।
9. निविदा में भाग लेने वाले निविदादाता के पास चरित्र प्रमाण–पत्र होना अनिवार्य है।
10. जाँच के दौरान कभी भी अगर यह बात प्रकाश में आती है कि निविदादाता द्वारा प्रस्तुत प्रमाण–पत्र जाली अथवा अवैध है तो इकरारनामा पश्चात् भी उनका इकरारनाम रद्द कर दिया जाएगा तथा आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
11. निविदा में भाग लेने वाले निविदादाता को निविदा डालते समय अपना/अपने द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति का ही हस्ताक्षर अंकित करना होगा।
12. अन्तिम रूप से चयनित मेस संचालक के द्वारा दी जाने वाली खाने की गुणवत्ता को बीच–बीच में पुलिस अधीक्षक एवं पुलिस उपाधीक्षक स्तर के पदाधिकारी जॉच करेंगे।
13. अन्तिम रूप से चयनित मेस संचालक के मेस में स्वयं/कर्मियों को किसी भी प्रकार की दूर्घटना होती है तो इसका जिम्मेवार मेस संचालक का होगा इसमें अकादमी का कोई जिम्मेवारी नहीं होगी।
14. आवंटित मेस संचालक को अपने/अपने कर्मियों का बायोडाटा देना होगा, जिसमें पहचान पत्र, नेम प्लेट पदवार के हिसाब से लगाना अनिवार्य होगा।
15. आवंटित मेस संचालक अकादमी में साफ–सफाई का विशेष ध्यान रखना होगा एवं अकादमी में कार्यरत एन0आई0एस0, हॉर्टीकल्चर, स्टर्लिंग फर्मों से भी समन्वय स्थापित रखना होगा।
16. आवंटित मेस संचालक को अपने कर्मियों को पदवार डयूटी पर लगाना होगा यथा–मैनेजर, सुपरवाईजर, कुक, सहायक कुक, डिलेवरी बॉय इत्यादि एवं सभी कर्मियों के लिए पहचान–पत्र बनवाना अनिवार्य होगा। कर्मियों के लिए काला पैन्ट एवं सफेद रंग का सर्ट ड्रेस कोड होगा, जिसका व्यवस्था मेस संचालक को ही करना होगा, इसके लिए अतिरिक्त राशि अलग से देय नहीं होगा।
17. आवंटित मेस संचालक अपने कर्मियों को काम में लगाने से पूर्व यह स्पष्ट बतायेगें कि उन्हें किस काम हेतु कितने रूपये के मासिक/प्रतिदिन का वेतन दिया जायेगा।
18. चयनित निविदाता की सेक्यूरिटी के नाम पर जमानत राशि अकादमी में जमा रखी जाएगी तथा इकरारनामा अवधि समाप्ति उपरांत अगर कोई कटौती होती है तो कटौती उपरांत बगैर ब्याज के वापस लौटायी जाएगी।
19. आवंटित मेस संचालक को अपने कर्मियों को काम में लगाने से पूर्व यह स्पष्ट बतायेगें कि उन्हें किस काम हेतु कितने रूपये के मासिक/प्रतिदिन का वेतन दिया जायेगा।
20. चयनित निविदाता की सेक्यूरिटी के नाम पर जमानत राशि जमा रखी जाएगी तथा इकरारनामा अवधि समाप्ति उपरांत बिना किसी ब्याज के वापस लौटायी जाएगी।
21. मेस का संचालन निविदा प्रकिया संम्पन होने के तुरंत बाद से किया जाना संभावित है, अन्तिम रूप से चयनित निविदादाता को मेस संचालन हेतु सारी व्यवस्था कर के तैयार रहना होगा। प्रशिक्षण समाप्ति उपरांत इकरारनामा स्वतः समाप्त हो जाएगी।
22. इकरारनामा पश्चात् सभी मेस संचालकों को हरेक 03 महीने पर टैक्स रिटर्न जमा करने संबंधी प्रमाण–पत्र समर्पित करना होगा अन्यथा उनके विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

23. पुलिस अधीक्षक सह सहायक निदेशक (प्रशासन), बिहार पुलिस अकादमी, राजगीर को निविदा में किसी शर्त को शिथिल करने/स्वीकृत करने/अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित रहेगा।
24. निविदा में भाग लेने हेतु आवेदन पत्र के साथ आधार कार्ड की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
25. जिन निविदादाताओं का चयन अन्तिम रूप से हो जाएगा, उन्हें अपने/अपने फर्म की बैंक खाता देना होगा एवं उसी खाता से मेस संबंधी वित्तीय लेखा–जोखा करना होगा। मेस संचालक महीने के 05 तारीख तक अकादमी को प्रशिक्षुओं से बिल भुगतान में देरी के संबंध में अवगत करायेंगे।
26. भोजनालय/मेस संचालन वाले फर्म को भोजन बनाने हेतु बर्तन चुल्हा एवं अन्य उपकरण की व्यवस्था स्वयं करेंगे।
27. बिहार पुलिस अकादमी, राजगीर में संचालन कर रहे पूर्व संचालनकर्ता/फर्म जो अपना मेस किराया अकादमी में अभी तक जमा नहीं किये हैं वे इस निविदा हेतु अयोग्य है एवं वे इस निविदा में आवेदन नहीं डालेंगे।
28. सभी प्रशिक्षु मेस शुल्क का भुगतान मेस संचालक द्वारा उपलब्ध कराये गये खाते में कैशलेश माध्यम यथा ऑनलाईन पेमेन्ट/फोन पे/पेटीएम/गुगल पे के माध्यम से जमा करेंगे।
29. प्रशिक्षण प्रारम्भ होने के बाद मेस कमिटी गठित की जाएगी, जिसमें मेस के प्रशिक्षु रहेंगे, जो भोजन की गुणवत्ता या अन्य समस्या से अकादमी को अवगत करायेंगे। प्रत्येक महीने नया मेस कमिटी का गठन किया जाएगा।
30. मेस संचालन हेतु सुपरवाइजर, बार्बची, एवं मेस संचालन हेतु लगाये गये अन्य कर्मचारीयों के रहने/आवासन की व्यवस्था निविदादाता स्वयं करेंगे।
31. यह निविदा सूचना एवं नियमावली अकादमी के वेवसाइट www.bpa.bihar.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं।

31.1.2022

पुलिस अधीक्षक सह सहायक निदेशक(प्रशासन)
बिहार पुलिस अकादमी, राजगीर।

वित्तीय बिड की शर्तें

1. प्रशिक्षु पदाधिकारियों के मेस मेन्यू निम्नवत् होगा :-

दिन	सुबह का नास्ता (8.00AM-10.00 AM)	दोपहर का भोजन (1.00 PM-03.00 PM	टी/ कॉफी/ स्नैक्स (5.00 PM)	डिनर (8.00 PM10.00 PM)
सोमवार	अण्डा 01 पीस(नॉन वेज के लिए), मिठाई 01 पीस (वेज के लिए), फल, दुध 250 मि0लि0, रोटी, हरी सब्जी	रोटी, चावल, दाल (अरहर–मूंग), सलाद, पापड, चटनी,दही, चिकेन करी(वेज के लिए), मटर पनीर(नॉन वेज के लिए), सब्जी, कढी	चाय के साथ 04 बिस्कीट प्रतिदिन प्रत्येक हॉस्टल के प्रत्येक फलोर पर मेस संचालक को चाय का कंटेनर के साथ अपने कर्मी को रखना होगा।	रोटी, चावल, दाल, सलाद, मिक्स वेज, मिठाई 2 पीस/व्यक्ति
मंगलवार	भरवां फराठा, मिठाई 01 पीस, दुध 250 मि0लि0, रोटी, हरी सब्जी	रोटी, चावल, लाल राजमा, हरी सब्जी, पापड, सलाद, धनीया चटनी		रोटी, खीर, लौकी दाल, मिक्स सब्जी, सलाद,, काला जामुन–1/व्यक्ति
बुधवार	छोले भटुरे, अंडा 1 पीस(नॉन वेज के लिए), मिठाई 01 पीस (वेज के लिए), फल, दुध 250 मि0ली0,	रोटी, चावल, दाल (अरहर–मूंग), सलाद, पापड, चटनी, दही, पनीर करी (नॉन वेज के लिए), चिकेन बटर मशाला (वेज के लिए), खीर		रोटी, चावल, दाल, सलाद, आलु भुजीया, प्लेन करी, मशरुम, सेवई
गुरूवार	भरवां फराठा, दलिया, अण्डा 01 पीस(नॉन वेज के लिए), मिठाई 01 पीस (वेज के लिए), फल, दुध 250 मि0लि0,	रोटी, चावल, दाल (अरहर–मूंग), सलाद, पापड, चटनी, दही, भेज कोपता, कढी बडी, भुजीया,		रोटी, पुलाव, दाल, सलाद, तडका, हरी सब्जी
शुक्रवार	ईटली सांभर, अण्डा 01 पीस(नॉन वेज के लिए), मिठाई 01 पीस (वेज के लिए), फल, दुध 250 मि0लि0,	रोटी, चावल, दाल (अरहर–मूंग), सलाद, पापड, चटनी,		रोटी, चावल, दाल, सलाद, आलु भुजीया, फिश करी (4 पीस/व्यक्ति 200 ग्राम), पनीर की सब्जी
शनिवार	पाव भाजी, अण्डा 01 पीस(नॉन वेज के लिए), मिठाई 01 पीस (वेज के लिए), फल, दुध 250 मि0लि0,	खिचडी, चोखा, चटनी, दही, पापड, सलाद		सत्तु लिट्टी, आलु+बैगन+टमाटर का चोखा, चटनी
रविवार	ब्रेड पकौडा, अण्डा 01 पीस(नॉन वेज के लिए), मिठाई 01 पीस (वेज के लिए), फल, दुध 250 मि0लि0,	रोटी, चावल, मटन (200 ग्राम प्रति व्यक्ति), पनीर बटर मशाला(वेज के लिए), मिठाई 1 पीस, सलाद, पापड,		रोटी, हरी सब्जी, दाल, सलाद, मिठाई 1 पीस

नोटः–

a. इसके अतिरिक्त किसी भी तरह का सरकारी त्योहार/जंगल मार्च/कार्यक्रम के अवसर पर बड़ा/छोटा खाना/ निंबू पानी की व्यवस्था मेस संचालक को ही करना होगा। इसके लिए अतिरिक्त राशि देय नही होगा।

b. अगर मेस मेन्यु में कोई बदलाव होता है तो उसका बिल मेस हेतु निर्धारित राशि में समाहित रहेगा तथा उसके लिए अलग से भुगतान नहीं किया जाएगा।

2. उपरोक्त मेन्यू की दर खुली निविदा के आधार पर निर्धारित किया जायेगा इसके अतिरिक्त जी0एस0टी0 देना होगा।
3. मेस आवंटित होने के उपरांत प्रत्येक 03 माह के अंत तक आवंटित निविदादाता को अपना आयकर रिटर्न की छायाप्रति अकादमी के कार्यालय में समर्पित करना होगा।
4. यदि किसी अवसर पर प्रशिक्षु पदाधिकारीयों को सामूहिक अवकाश दिया जाता है तो उस सामूहिक अवकाश अवधि का मेस चार्ज महिना के अन्त में घटा दिया जायेगा।
5. यदि किसी प्रशिक्षु पदाधिकारी के गेस्ट आते हैं तो उनके खाने के बिल का भुगतान प्रशिक्षु से उसी माह निर्धारित प्रति प्लेट की हिसाब से किया जायेगा।
6. यदि प्रशिक्षु पदाधिकारी किसी विशेष दिन कोई खास व्यंजन अलग से बनाने हेतु मांग करते हैं तो उक्त प्रशिक्षुओं से उक्त राशि का अतिरिक्त भुगतान करना होगा, जिसे मेस संचालक द्वारा पंजी में अंकित किया जायेगा। विशेष व्यंजन का रेट लिस्ट मेस संचालक द्वारा डायनिंग हॉल के नोटिस बोर्ड पर प्रकाशित किया जाएगा।
7. यदि प्रशिक्षु पदाधिकारी अवकाश में प्रस्थान करते हैं तो उन्हें अवकाश में प्रस्थान करने से 01 दिन पूर्व मेस संचालक को सूचित करना होगा अन्यथा मेस चालु माना जायेगा।
8. मेस संचालक यह सुनिश्चित करेंगे कि सरकार द्वारा निर्धारित आयु वाले व्यक्ति ही मेस कर्मी के रूप में कार्यरत हैं।
9. मेस संचालक को अपने कर्मियों के लिए पहचान–पत्र बनवाना अनिवार्य होगा। कर्मियों के लिए काला पैन्ट एवं सफेद रंग का सर्ट ड्रेस कोड होगा, जिसका व्यवस्था मेस संचालक को ही करना होगा, इसके लिए अतिरिक्त राशि अलग से देय नहीं होगा।
10. मेस संचालक को अपने अधिनस्थ काम करने वाले कर्मियें के स्वास्थ से संबंधित फिटनेस प्रमाण पत्र भी देना होगा एवं बीच–बीच में कार्यरत कर्मियों का निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करते हुए प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को समर्पित करेंगे कि उनका कोई भी कर्मी संक्रामक बिमारी (टी0वी0, टाईफाइड, कोढ़ इत्यादि) से ग्रसित तो नहीं है।
11. मेस संचालक को मेस संचालन से पूर्व अपने कर्मियों का विवरणी अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को समर्पित करेंगे।
12. मेस संचालक को प्रशिक्षु के भोजनालय, ग्राउण्ड तथा प्रत्येक क्लास रूम में पानी की व्यवस्था करनी होगी।
13. मेस मेन्यू में आवश्यकतानुसार परिवर्तन किया जा सकता है।
14. आवंटित मेस संचालक को प्रत्येक 50 प्रशिक्षुओं के लिए कम से कम 04 कर्मी रखना होगा तथा उसी हिसाब से कुल प्रशिक्षुओं की संख्या के आधार पर मेस कर्मी नियुक्त करना होगा।
15. मेस संचालक को अपने तथा अपने कर्मियों को कोविड–19 टीका लिये जाने का प्रमाण–पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा।
16. मेस संचालक प्रशिक्षुओं को गुणवतापूर्ण भोजन उपलब्ध करायेंगे, किसी भी परिस्थिति में स्तरहीन खाद्य पदार्थ एवं भोजन देने की अनुमति नहीं होगी। उक्त संबंध में प्राप्त शिकायत पर जॉच की जायेगी तथा साक्ष्य मिलने/आरोप सिद्ध होने पर पेनाल्टी की कटौती मेस भुगतान राशि से अथवा आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। अकादमी में धुम्रपान/किसी भी तरह के मादक पदार्थो की बिक्री/आयात/निर्यात पूर्णतः प्रतिबंधित है। मेस संचालक तथा मेस कर्मी किसी के भी विरूद्ध इस तरह की शिकायत मिलने पर उचित कार्रवाई की जाएगी। अकादमी में धुम्रपान/किसी भी तरह के मादक पदार्थो की बिक्री/आयात/निर्यात पूर्णतः प्रतिबंधित है। मेस संचालक तथा मेस कर्मी किसी के भी विरूद्ध इस तरह की शिकायत मिलने पर उचित कार्रवाई की जाएगी।

17. मेस संचालक को मेस आवंटित होने के उपरांत बिहार पुलिस अकादमी, राजगीर के बेबसाईट पर किसी भी तरह का नियम/प्रावधान का अवलोकन करते रहना होगा।
18. मेस संचालक डाइनिंग हॉल/किचन/स्टोर अथवा मेस के आस–पास साफ–सफाई का विशेष ख्याल रखेंगे तथा मेस एवं स्टोर रूम में चुहा, कॉक्रोंच, विषैले जीव इत्यादि के रोकथाम के लिए आवश्यक कार्रवाई करेंगे तथा प्रत्येक 15 दिनों पर इससे संबंधित रिपोर्ट अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में समर्पित करेंगे।
19. सब्जी, फल, दुध, मिट मछली, पनीर एवं अन्य सभी खाद्य पदार्थ ताजा एवं गुणवतापूर्ण किस्म के होने चाहिए।
20. वरीय पदाधिकारीयों द्वारा मेस का औचक निरीक्षण किया जायेगा। निरीक्षण के दौरान त्रुटि पाये जाने पर मेस संचालक उसका निराकरण करते हुए कृत कार्रवाई से अधोहस्ताक्षरी को अवतगत करायेंगे।
21. एक से अधिक निविदादाताओं का वित्तीय बिड समान पाये जाने पर फर्म के द्वारा किसी सरकारी संस्थान/प्रशिक्षण महाविद्यालय/विद्यालय/कोई बडा मेला में काम करने/खाना बनाने का प्रमाण–पत्र/अनुभव प्रमाण–पत्र समर्पित किया जायेगा तो :–
    1. एक साल से काम करने/अनुभव वाले फर्म को 5 प्वांईट दिया जायेगा,
    2. दो साल से काम करने/अनुभव वाले फर्म को 10 प्वांईट दिया जायेगा,
    3. तीन साल से काम करने/अनुभव वाले फर्म को 15 प्वांईट दिया जायेगा।
22. मेस संचालक को अकादमी परिसर में साफ–सफाई का विशेष ध्यान रखना होगा, आवश्यक जगहों पर डस्टबिन रखना अनिवार्य होगा। हाथ धोने वाले जगहों पर एन0आई0एस0 के कर्मी से समन्वय स्थापित कर तौलियां एवं हैंड वाश की उपलब्धता सुनिश्चित कराते रहना होगा।
23. किसी भी प्रकार का वाद–विवाद होने पर मामला स्थानीय न्यायालय, नालंदा में ही दायर किया जा सकेगा ।

<u>सामान्य निर्देश :–</u>

1. निविदादाता निम्न प्रारूप में 02 अलग–अलग लिफाफो में तकनीकी एवं वित्तीय बिड को सील बंद करके एक बडा लिफाफा में दिनांक–17.02.2022 तक अकादमी में निर्धारित डब्बों में जमा कराना सुनिश्चित करेंगे :–

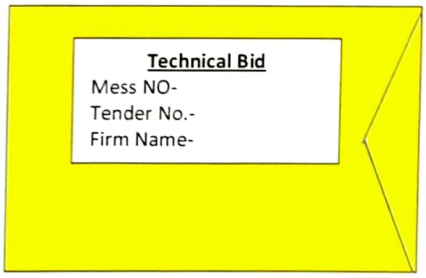

2. सबसे पहले तकनीकी बिड खोला जायेगा उसके उपरांत वित्तीय बिड, तकनीकी बिड में सफल होने वाले निविदादाता का ही वित्तीय बिड खोला जायेगा।

21.1.2022

पुलिस अधीक्षक ~~सह~~ सहायक निदेशक(प्रशासन)
बिहार पुलिस अकादमी, राजगीर।

तकनीकी बीड के आवेदन का प्रारूप निम्न प्रकार से होगा

सेवा में,

पुलिस अधीक्षक सह सहायक निदेशक (प्रशासन),
बिहार पुलिस अकादमी, राजगीर।

विषय :– मेस संख्या................के संचालन करने हेतु निविदा सं0........................का तकनीकी बिड डालने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मै...................................फर्म का नाम........................ मेरे द्वारा निविदा नियमावली एवं अन्य नियम तथा शर्त अच्छी तरह पढनें/समझने के उपरांत यह आवेदन दिया जा रहा है। अकादमी द्वारा निर्धारित सभी नियमों/शर्तों के अनुसार मेस संचालन व्यवस्था सुनिश्चित करने का आश्वासन देता हूँ।

मेरे द्वारा इस आवेदन में भरे गये सभी तथ्य/संलग्न अभिलेख तथा प्रमाण पत्र मेरी जानकारी के अनुसार सत्य एवं सही है। निविदा में किसी स्तर पर गलत पाये जाने पर अकादमी यथोचित आवश्यक कार्यवाही हेतु स्वतंत्र होगी।

सधन्यवाद।
समर्पित दस्तावेजों को क्रमवार रखते हुए उसकी विवरणी आवेदन के साथ संलग्न करेंगे।

विश्वासभाजन
अपना फर्म का नाम
पता

बिहार पुलिस अकादमी, राजगीर की परिसम्पति का अनुज्ञप्ति के आधार पर मेस संचालन हेतु निविदा

लिफाफा नं0–1 प्रपत्र 'क'
आवेदन पत्र का प्रपत्र

1. फर्म / एजेन्सी का नाम
(जिसके लिए आवेदन दिया जा रहा है)

पासपोर्ट साईज एक फाटो

2. आवेदक का नाम :
(व्यक्ति / एंजेसी / फर्म इडिभिजुअलः
संबंधित कागजात की प्रतिलिपि संलग्न करें)

3. पिता का नाम :

4. वर्तमान एवं स्थाई पता :
(दूरभाष सहित)

5. अनुभव / दक्षता :

(तकनीकी बिड की शर्तें)

1. सभी निविदाकर्त्ता को प्रपत्र के साथ फर्म / एजेन्सी / प्रतिष्ठान का जी0एस0टी0 पंजीकरण प्रमाण पत्र एवं GST का अद्यतन छायाप्रति, पुलिस चरित्र सत्यापन रिपोर्ट, आधार कार्ड, पैन कार्ड एवं आवासीय प्रमाण पत्र की छायाप्रति लगाना अनिवार्य है।
2. निविदाकर्ता को पूर्व सरकारी प्रतिष्ठानों(स्कूल / हॉस्टल / सरकारी प्रशिक्षण केन्द्र यथा Bipard, Bica) / गैर सरकारी प्रतिष्ठान(स्कूल / हॉस्टल) में कार्य करने का अनुभव का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। निविदाकर्त्ता को आयकर रिटर्न विगत तीन वर्षों का लगाना होगा।
3. निविदाकर्त्ता का अन्डरटेंकिंग :

   - मेरे द्वारा निविदा नियमावली एवं अन्य नियम तथा शर्त अच्छी तरह पढनें / समझने के उपरांत यह आवेदन दिया जा रहा है। अकादमी द्वारा निर्धारित सभी नियमों / शर्तों के अनुसार मेस की संचालन व्यवस्था सुनिश्चित करनें का आश्वासन देता हूँ।
   - मेरे द्वारा इस आवेदन में भरे गये सभी तथ्य / संलग्न अभिलेख तथा प्रमाण पत्र मेरी जानकारी के अनुसार सत्य एवं सही है। निविदा में वर्णित शर्तों के उल्लंघन / गलत पाये जाने पर अकादमी यथोचित आवश्यक कार्यवाही हेतु स्वतंत्र होगी।

आवेदक का हस्ताक्षर

निविदा में भाग लेने हेतु आवेदन पत्र का प्रपत्र

1. अपना नाम :–

फोटो

2. फर्म का नाम :–

3. पता :

4. मोबाईल नम्बर :–

5. मेस का संचालन हेतु लाईसेंस का विवरणी :–

6. अनुभव / दक्षता :

आवेदक का हस्ताक्षर

वित्तीय बिड का फॉरमेट

प्रत्येक प्रशिक्षु प्रत्येक महीना का रेट**(A)**	टैक्स **(B)**	**(A+B)** कुल राशि	अभियुक्ति

वित्तीय बिड में खाना तथा मेस संचालन का समस्त बिल समाहित होगा।

वित्तीय बिड का आवेदन वित्तीय बिड बॉक्स में हीं जमा करेंगे।

आवंटित मेस संचालक को वित्तीय बिड में स्पेशल व्यंजन के दर को दर्शाना होगा यथा–इडली, ढोसा, बर्गर इत्यादि।

TECHNICAL BID ELIGIBILITY CRITERIA

तकनीकी बिड का आवेदन तकनीकी बिड बॉक्स में हीं जमा करेंगे।

The bidder may be an individual proprietary firm, partnership firm, limited company, corporate body or society legally and possessing the recuired license, registration etc. as per law valid at least for 12 months on the date of opening of tender.

Document to be enclosed:

self-attested photocopies of the following :-

a. PAN
b. GST registration certificate & up to date tax deposit receipt last 3 years.
c. Service tax registration certificate
d. TAN (optional)
e. Auidited financial statement (last 3 years)
f. registration certificate(company/firm/other relavant organiztion)
g. Undertaking of the agency confirming the availability of adequate manpower of requisite qualification and experience for deployment in Bihar police academy.
h. self declaration on letter head that firm is non blacklisted.
i. Acceptance of terms and condition (self attested letter).
j. written submission that no case is pending with the police against the proprietor/firm/partner of the company (Agency).
k. Tender fee deposition certificate/proof.
l. Earnest money deposition certificate/proof.

MANPOWER DEPLOYED AND OFFICE MANAGEMENT

The agency shall be responsible for fulfilling the requirement of all the applicable statutory provisions of minimum wages Act, payment of wages Act (including leave salary), workmen compensation ACT, Industrial disputes Act, contract labour (Abolition & regulation ACT), Employees provident fund Act, payment of bonus Act and all other labour and industrial enactments at it own cost and risk in respect off all the staff employed by it.

31.1.2022

पुलिस अधीक्षक सह सहायक निदेशक(प्रशासन)
बिहार पुलिस अकादमी, राजगीर।